आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 982/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बजाज फाईनेन्स लिमिटेड, कार्यालय : तीसरी मंजिल, लैण्ड मार्क टॉवर, जय क्लब, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. राजस्थान पेप सेल्स प्राईवेट लिमिटेड, (जरिये निदेशक गिरिराज रतन डागा)
   पता :– रिको शॉपिक सेन्टर, रोड नम्बर 1, वी.के.आई. एरिया, जयपुर।
2. राधा कृष्णा बिल्ड टेक प्राईवेट लिमिटेड, (जरिये निदेशक गिरिराज रतन डागा)
   पता :– ई–92, सुभाष मार्ग जी–स्कीम जयपुर।
3. नवभारत इण्डस्ट्रीज एण्ड एजेन्सीज (जरिये पार्टनर व अधिकृत हस्ताक्षकरकर्त्ता श्याम सुन्दर डागा)
   पता :– ई–92, सुभाष मार्ग जी स्कीम जयपुर।
4. कोरल कैजुअल वियज प्राईवेट लिमिटेड, (जरिये निदेशक गिरिराज रतन डागा)
   पता :– जी–123, सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
5. राजस्थान सेल्स एजेन्सीज (जरिये पार्टनर व अधिकृत हस्ताक्षकरकर्त्ता श्याम सुन्दर डागा)
   पता :– सोनखता भवन, चौडा रास्ता, जयपुर।
6. श्याम सुन्दर डागा, पता :– बी–13 शिव मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
7. कृष्णा देवी डागा पता :– बी–13 शिव मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
8. गोविन्द रतन डागा, :– बी–13 शिव मार्ग बनीपार्क, जयपुर।
9. गिरिराज रतन डागा,
   पता :– प्लाट नम्बर बी–13/डी, डागा हाउस, शिव मार्ग बनीपार्क, वार्ड नम्बर 17, जयपुर।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री धीरज कुमार गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश **दिनांक : 26.02.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) **श्री गिरिराज रतन डागा पुत्र श्री श्याम सुन्दर डागा जरिये निदेशक मैसर्स राधा कृष्णा बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 101, प्रथम तल, प्लाट नम्बर ई–92/सी, कोरल केस्टल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर क्षेत्रफल 1825 वर्गफीट** (2) **श्याम सुन्दर डागा पुत्र श्री नन्दलाल डागा एवं श्री गोविन्द रतन डागा पुत्र श्री श्याम सुन्दर डागा के स्वामित्व की सम्पति दुकान संख्या एस1 35 एवं 42 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर, एस1 36 एव 37 क्षेत्रफल 46.20 वर्गमीटर, एस 1 34 व 43 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर एवं एस1 40 व**

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

41 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर एवं (3) श्री श्याम सुन्दर डागा के स्वामित्व की सम्पति प्लाट संख्या बी–13–डी का पश्चिमि भाग, शिव मार्ग, बनीपार्क जयपुर क्षेत्रफल 192.30 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 26.11.2015 एवं दिनांक 31.08.2018 को कुल राशि 04,81,89,136/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की और से अभिभाषक श्री धीरज कुमार गुप्ता उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 04,81,89,136/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 05,06,03,349/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी (1) **श्री गिरिराज रतन डागा पुत्र श्री श्याम सुन्दर डागा जरिये निदेशक** मैसर्स राधा कृष्णा **बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्व की बन्धक सम्पति फ्लेट नम्बर 101, प्रथम तल, प्लाट नम्बर ई–92/सी, कोरल केस्टल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम जयपुर क्षेत्रफल 1825 वर्गफीट** (2) **श्याम सुन्दर डागा पुत्र श्री नन्दलाल डागा एवं श्री गोविन्द रतन डागा पुत्र श्री श्याम सुन्दर डागा के स्वामित्व की बन्धक सम्पति दुकान संख्या एस1 35 एवं 42 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर, एस1 36 एव 37 क्षेत्रफल 46.20 वर्गमीटर, एस 1 34 व 43 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर**

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एवं एस1 40 व 41 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर एवं (3) श्री श्याम सुन्दर डागा के स्वामित्व की बन्धक सम्पति प्लाट संख्या बी–13–डी का पश्चिमि भाग, शिव मार्ग, बनीपार्क जयपुर क्षेत्रफल 192.30 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 26.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner